भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान

(आई एस ओ 9001 : 2008 प्रमाणित)

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन

INDIAN INSTITUTE OF CARPET TECHNOLOGY

(ISO 9001 : 2008 Certified)

Under the aegis of Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Govt. of India

Affiliated with APJAKTU,Lucknow & Approved by AICTE, Govt. of India

पत्रांकः 2/प्रशा0/बाग़बानी/48/आई.आई.सी.टी./2023 **दिनांकः 13.06.2023**

विषयः **संस्थान परिसर के संदर्भित लकड़ी/सूखे जर्जर पेड़/ वृक्ष आदि को अधिकतम बोली के माध्यम से विक्रय हेतु।**

संस्थान परिसर के दीमक व घुन लगे लकडियों एवं सूखे/जर्जर वृक्षों/पेड़ो के विक्रय हेतु अधिकतम बोली के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। जिसके माध्यम से उक्त दीमक व घुन लगे लकडियों एवं सूखे/जर्जर वृक्षों/पेड़ो को अग्रांकित नियमों एवं शर्तो को पूर्ण करनें वाली एवं अधिकतम मूल्य पर बोली लगानें वाले व्यक्ति/ फर्म को विक्रय किया जाना निर्धारित है।

<u>नियम एवं शर्ते–</u>

1. कमेटी द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर खरीददार व्यक्ति/फर्म के नामित व्यक्तियों को आकर क्रय मूल्य निर्धारित करना होगा, जिसका क्रय मूल्य सर्वाधिक होगा कमेटी उसी व्यक्ति/फर्म को विक्रय करेगी।
2. सम्पूर्ण क्रय राशि भुगतान करने पर ही वृक्षों/पेड़ो की लकड़ियॉं ले जा सकेगें।
3. वृक्षों/पेड़ो के कटाई/छटांई, ढुलाई, वाहन भाड़ा व मजदूरी का वहन क्रय करनें वाले फर्म/व्यक्ति को करना होगा।
4. वृक्षों/पेड़ो के कटाई/छटांई में संस्थान के परिसर में कोई भी क्षति होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी खरीददार फर्म/व्यक्ति की होगी।
5. वृक्षों/पेड़ो के कटाई/छटांई के तत्काल बाद लकड़ियों को संस्थान से साफ– सफाई के साथ अतिशीघ्र हटाना पूर्ण जिम्मेदारी खरीददार फर्म/व्यक्ति की होगी।
6. वृक्षों/पेड़ो की कटाई, छटांई, ढुलाई आदि से संदर्भित वाहन एवं व्यक्तियों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रय करनें वाले व्यक्ति/फर्म का होगा।
7. वृक्षों/पेड़ो की कटाई, छटांई आदि से संदर्भित नियमो/ प्रक्रियाओं का पालन करनें की सम्पूर्ण जिम्मेवारी क्रय करनें वाले व्यक्ति/फर्म की होगी।
8. कमेटी का निर्णय सर्वोपरि होगा।